क्र.सं. 4

कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन,
तिलक मार्ग, राज0 जयपुर – 05

क्रमांक : एफ 15 (26)आयु0उ0 / पंजी.अनु. / एमएसएमई / उदयपुर / 07 दिनांक : 25-10-07

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
उदयपुर।

विषय : इकाई द्वारा एमएसएमईडी एक्ट 2006 के तहत प्रस्तुत मैमोरेण्डम के पश्चात् जारी किए गए एक्नॉलेजमेंट की, दूसरे विभाग द्वारा इकाई के बारे में जानकारी चाहने के सम्बन्ध में निरीक्षण बाबत्।

प्रसंग : आपका पत्रांक एफ ( ) एमएसएमई / 2007 / 8793 दिनांक 27.09. 2007 (पीछे संलग्न है)।

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत अनुरोध है कि एमएसएमईडी एक्ट 2006 के प्रावधानानुसार एन्टरप्रिन्योर मैमोरेण्डम दायर उद्यमों को एक्नॉलेजमेंट जारी किए जाने हेतु एक्ट में निरीक्षण किए जाने का प्रावधान नहीं है तथा उक्त एक्ट के अनुसार जारी किए जाने वाला "एक्नॉलेजमेंट" मैमोरेण्डम का ही पार्ट है। जिसमें उद्यम की विभिन्न सूचना जैसे विनियोजन, नियोजन, उत्पादन क्षमता आदि का उल्लेख होता है। राज्य में स्थापित उद्यमों को विभिन्न विभागों द्वारा केन्द्र / राज्य सरकार उनकी योजनाओं में सुविधाएं देने से पूर्व निरीक्षण व सत्यापन की कार्यवाही सम्बन्धित विभाग द्वारा ही की जाती है। जिनकी जिम्मेवारी इस विभाग की नहीं ली जानी है, क्योंकि अन्य सभी विभाग अपने-अपने विभाग के नियमों / योजनाओं की जानकारी स्वयं रखते हैं। विशेष परिस्थिति में महाप्रबन्धक चाहे तो मैमोरेण्डम में उपलब्ध जानकारी अन्य विभागों को उपलब्ध करा सकते हैं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

आयुक्त, उद्योग

क्रमांक : एफ 15 (26)आयु0उ0 / पंजी.अनु. / एमएसएमई / उदयपुर / 07 दिनांक : 25-10-07

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र / सहायक निदेशक, जिला उद्योग अधिकारी, जिला उद्योग उप केन्द्र (समस्त)।
2. पत्रावली संख्या एफ 15 (1)आयु0उ0 / पंजी.अनु. / एमएसएमईनीति / 2007 में रिकॉर्ड हेतु।
3. मास्टर फाइल।

आयुक्त, उद्योग

क्र0प0उ0

D-381
10/10/07

DIC (EM)
5
9/10/07

कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर

क्रमांक : एफ. ( )एमएसएमई / 2007 / 8793 दिनांक : 2)-9-07

10586
8-10-07

आयुक्त, उद्योग
उद्योग विभाग,
राज0 जयपुर ।

विषय :– इकाई द्वारा एमएसएमई एक्ट के तहत प्रस्तुत किए मेमोरेण्डम के पश्चात् जारी किए गए एक्नोलेजमेन्ट की दूसरे विभाग द्वारा इकाई के बारे में जानकारी चाहने के संबंध में निरीक्षण बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके निर्देशानुसार उत्पादनरत इकाइयों को फार्म नं. II मेमोरेण्डम प्रस्तुत करने के पश्चात् उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर बिना कोई निरीक्षण जांच किए पार्ट–II में इकाइयों को एक्नोलेजमेन्ट जारी किए जा रहे हैं, जिसमें यह भी अंकित है कि इकाइयों को अपने स्तर से आवश्यकतानुसार क्लीयरेंसेज / लाइसेन्सेज / परमिट आदि–आदि नियमों के अनुसार प्राप्त करने होंगे । जिला उद्योग केन्द्र को दूसरे विभागों यथा एक्साईज कस्टम विभाग द्वारा इकाई के उत्पादनरत रहने, इकाई की क्षमता, इकाई सेट अप हुई या नहीं आदि–आदि के बारे में जानकारी चाही जाती है, जिस हेतु निरीक्षण के पश्चात् ही यह सुनिश्चित करना होता है कि इकाई वर्तमान में उत्पादनरत है या नहीं ?, इकाई ने जिस उत्पाद हेतु मेमोरेण्डम दिया है वह उत्पाद बना रही है या नहीं ? तथा इकाई की क्या केपेसिटी है ।

उपरोक्त संदर्भ में कृपया अवगत करावें कि दूसरे विभाग जो इस तरह की सूचनाएं चाह रहे हैं वे अपने स्तर से ही संबंधित जानकारी प्राप्त करावें अथवा जिला उद्योग केन्द्र द्वारा अन्य विभागों द्वारा चाही सूचना हेतु इकाई का निरीक्षण एवं आवश्यक सत्यापन पश्चात् ही सूचना प्रेषित की जावें ।

भवदीय,

महाप्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र,
उदयपुर